अंक : 8, मई 2024, वर्ष 1

भाषाघर

भाषा, साहित्य और संस्कृति के लोकतंत्र का सहकार

तृतीयलिंगी विमर्श विशेषांक

शोध संवाद समूह, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रस्तुति

अंक : 8

भाषाघर

(भाषा, साहित्य और संस्कृति के लोकतंत्र का सहकार)

❖ संरक्षक

प्रो. आनंद कुमार त्यागी
माननीय कुलपति
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

प्रो. निरंजन सहाय
पूर्व अध्यक्ष
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

प्रो. राजमुनि
अध्यक्ष
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ

❖ सह संरक्षक

डॉ. अविनाश कुमार सिंह
डॉ. विजय कुमार रंजन

❖ संपादक

उज्जवल कुमार सिंह
प्रियंका यादव

❖ सह- संपादक

प्रतिभा
कुमारी प्रीति (एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर)
शिवम कुमार (एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर)

❖ संशोधन समिति

अंजना भारती
प्रवीण प्रजापति
अमित जायसवाल
प्रज्ञा पाण्डेय
जनमेजय राम
मनीष यादव
आकाश सिंह
धर्मेन्द्र कुमार
हनुमान राम
रवि यादव
मीरा (एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर)
सुग्रीव (एम.ए. द्वितीय सेमेस्टर)
मानसी कन्नौजिया (बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर)

❖ दस्तावेज प्रबंधन

वरुणा देवी

❖ समन्वयक समिति

सौरभ त्रिपाठी
सीता सुंदर सिंह
हेमलता

❖ प्रबंध संपादक

आरती तिवारी
स्तुति राय

रचना भेजने के लिए ईमेल पता :
bhashagharmgkvp@gmail.com
फ़ीडबैक के लिए ईमेल पता :
feedback.bhashaghar@gmail.com

❖ सम्पादकीय पता

शोध संवाद समूह
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
उत्तर प्रदेश, 221002

❖ मार्गदर्शक मंडल

प्रो. अनुराग कुमार
प्रो. रामाश्रय सिंह
प्रो. अनुकूल चंद राय
डॉ. प्रीति
डॉ. सुरेन्द्र प्रताप सिंह

भाषाघर में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखकों के अपने हैं। उससे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

शुभकामनाएँ

संपादकीय

बस तू मिरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे : **उज्जवल कुमार सिंह** 1

आलेख

सेक्स (जेंडर से इतर अर्थों में) शिव, कामसूत्र और किन्नर समुदाय : **प्रियंका नारायण** 11

हिन्दी उपन्यासों में तृतीयलिंगी जीवन : **शशांक पाण्डेय** 20

हिन्दी उपन्यासों में तृतीयलिंगी विमर्श : **डॉ. अंजू कुमारी** 26

पोस्ट बॉक्स नं. 203 नाला सोपारा : थर्ड जेंडर का आत्मसंघर्ष : **रीखा पटेल** 31

किन्नर समाज : सच्चाई के दहकते रूप : **डॉ. आशीष कुमार 'दीपांकर'**................................. 35

Third Gender Rights: A Call of Action: **Akanksha Singham**............................. 40

Importance of Books for LGBTQ Awareness in Children: **Akanksha Datta**......... 48

ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए शिक्षा नीति : **डॉ. नीना छिब्बर** 58

भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव और तृतीयलिंगी समुदाय : **प्रियंका यादव** 68

कहानी

अपराजेय : **डॉ. आरती स्मित** 50

चिल्लर : **सोनू यशराज** 63

संपादकीय

बस तू मिरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे

उज्जवल कुमार सिंह
शोध छात्र
हिन्दी और अन्य भारतीय भाषा विभाग
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी एवं
डॉक्टरल फेलो
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा – भारत
भारतीय भाषा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार)
मैसूर, कर्नाटक

तृतीयलिंगी समाज, जिसे हिजड़ा, किन्नर, या ट्रांसजेंडर समुदाय के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक महत्त्वपूर्ण और प्राचीन सामाजिक समूह है। हालाँकि उनके पास एक विशिष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व है, फिर भी वे अक्सर समाज में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रायः हम सभी के घरों में तृतीयलिंगी लोगों से जुड़ी अनेक क़िस्से – कहानियाँ प्रचलन में हैं। हम तरह – तरह की कहानियों से रोजाना रूबरू होते आये हैं। जैसे ही किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है और घरवालों को यह लगता है कि यह बच्चा/बच्ची सभी की तरह सामान्य नहीं है वैसे ही माता – पिता और घरवालों का स्वभाव अचानक बदल जाता है। कई – कई घरों में तो यह कहा जाता है कि इससे अच्छा होता कि नवजात दिव्यांग या पागल हो जाता लेकिन यह क्यों हुआ। बचपन से ही शुरू हुआ यह सामाजिक बहिष्करण उसके मरते वक्त तक उसके साथ ही ख़त्म होता है। तृतीयलिंगी व्यक्तियों को समाज में मुख्यधारा से अलग रखा जाता है।

सामान्य रूप से विमर्श को दो तरह से देखा जा सकता है। एक जिसने समाज की मुख्यधारा के बीच रहते हुए अपने प्रतिरोध को दर्ज कराया और दूसरा जो समाज की मुख्यधारा में अपनी जगह को ही तरस रहा है। मानव ने भले ही सफलता के तमाम सोपानों को छू लिया, मगर जब बात सामाजिक रूप से बहिष्कृत इस समाज की आती है तो विमर्शों के दौर में उनकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई नहीं दिखता। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि तमाम अन्य विमर्शों की तरह से इस समुदाय के लोग भी अपने अनुभव को साझा क्यों नहीं करते हैं? ये लोग भी अपने प्रतिरोध को अन्य सभी समुदायों की तरह से क्यों नहीं सामने लाते? इसका साधारण सा उत्तर दिया जा सकता है कि इस समुदाय को कभी सामाजिक स्वीकार्यता न मिलने के कारण कभी शिक्षा का सामान अवसर मिला ही नहीं और दूसरा

हमने कभी इनकी आवाज़ को प्रमुखता दी ही नहीं। हमारे तथाकथित सभ्य समाज ने इन्हें हमेशा हिक़ारत भरी नज़रों से देखा है। यहाँ एक सवाल और अ सकता है कि ऐसे कौन से करण रहें, जिससे इन्हें समाज की मुख्यधारा से महरूम रखा गया? जबकि अगर बात भारतीय संस्कृति और साहित्य की, की जाए तो हम यह देखते हैं कि हमारे विपुल साहित्य में इनका ज़िक्र अधिकतर आख्यानों में आता है और बहुत ही सम्मानजनक रूप से।

शतपथ ब्राह्मण, जैन ग्रंथों, बौद्ध ग्रंथों आदि में 'हिजड़ा' समुदाय का उल्लेख मिलता है। जैन साहित्य में 'ट्रांसजेंडर कम्युनिटी' का विस्तृत वर्णन है, जिसमें 'मनोवैज्ञानिक सेक्स की अवधारणा' का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र और तत्त्वार्थ सूत्र में तीन लिंगों का उल्लेख किया गया है: पुरुष, महिला, और उभयलिंगी। उभयलिंगी को न तो पुरुष और न ही महिला के रूप में दर्शाया गया है। ये ग्रंथ यह बताते हैं कि उभयलिंगी व्यक्ति किसी एक लिंग की परिभाषा में पूरी तरह फिट नहीं होते, और उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाती है। जैन साहित्य में इन तीनों लिंगों की विशेषताओं और उनकी सामाजिक भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भी जैन धर्म ने लिंग की विविधता को समझा और स्वीकार किया था। जैन साहित्य में, यौन प्रवृत्ति को शरीर की शारीरिक, यौन विशेषताओं से अलग माना गया है। इसमें यौन प्रवृत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: पुरुष, महिला, और तीसरी श्रेणी, जो न तो पूरी तरह से पुरुष हैं और न ही महिला, और न ही पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए समान हैं। इस प्रकार, मानसिक प्रवृत्ति को शारीरिक संरचना से अलग माना गया है। यह वर्गीकरण उस चीज को संदर्भित करता है जिसे हम आज समलैंगिक, उभयलिंगी, या ट्रांसजेंडर यौन अभिविन्यास के रूप में जानते हैं। जैन साहित्य में इस दृष्टिकोण का समावेश प्राचीन काल से ही लिंग और यौन विविधता की समझ और स्वीकृति को दर्शाता है, जो आधुनिक यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण का आधार हो सकता है। जैन दर्शन और शास्त्र स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा किस प्रकार नाम कर्म और मोहनीय कर्म के आधार पर एक विशिष्ट शरीर और मानसिक प्रवृत्ति में पहुँचती है। यह सिद्धांत पाँच इंद्रियों वाले सभी जानवरों के लिए भी लागू होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी आत्माएँ, चाहे वे किसी भी मानसिक और शारीरिक अभिविन्यास की हों, मोहनीय कर्म के समाप्त होने पर मुक्ति की क्षमता रखती हैं।

वात्स्यायन द्वारा रचित 'कामसूत्र' में 'किन्नर समुदाय' को 'तृतीय प्रकृति' कहा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार, ये न तो पूरी तरह पुरुष थे और न ही पूरी तरह नारी। कामसूत्र में न केवल यौनाचार का वर्णन है, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। तृतीयलिंगी समाज, जिसे आज के संदर्भ में ट्रांसजेंडर समुदाय कहा जाता है, का भी कामसूत्र में उल्लेख मिलता है, जो कि तृतीयलिंगी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। यह शब्द उन लोगों को संदर्भित करता है जो न तो पूरी तरह पुरुष हैं और न ही पूरी तरह महिला। वात्स्यायन ने तृतीयलिंगी व्यक्तियों की विशेषताओं, उनकी भूमिकाओं और उनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है।

कामसूत्र में तृतीयलिंगी व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. **उभयलिंगी (Hermaphrodites)**: यह श्रेणी उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिनके पास पुरुष और महिला दोनों के शारीरिक लक्षण होते हैं।

2. **विरोधी (Contrary)**: यह श्रेणी उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिनकी यौन प्रवृत्तियाँ उनके जन्म लिंग के विपरीत होती हैं।
3. **तृतीयलिंगी (Third Gender)**: यह श्रेणी उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो किसी भी लिंग की परिभाषा में पूरी तरह फिट नहीं होते।

कामसूत्र में तृतीयलिंगी व्यक्तियों की सामाजिक भूमिकाओं का भी उल्लेख है। उन्हें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में शामिल किया गया था। तृतीयलिंगी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों, समारोहों और मनोरंजन गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनकी भूमिका अक्सर समाज में शुभकामनाएँ देने वाले और अशुभ घटनाओं को दूर करने वाले के रूप में मानी जाती थी।

कामसूत्र में तृतीयलिंगी समाज की सामाजिक स्थिति को विभिन्न संदर्भों में दर्शाया गया है। यह ग्रंथ बताता है कि तृतीयलिंगी व्यक्ति समाज के विभिन्न पहलुओं में शामिल थे, लेकिन उन्हें समाज में मुख्यधारा से अलग भी माना जाता था। उनकी सामाजिक स्थिति उनकी भूमिका और समाज में उनके योगदान के आधार पर बदलती रहती थी।

कामसूत्र में तृतीयलिंगी व्यक्तियों को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में शामिल किया गया था। वे धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह समारोहों और जन्मोत्सवों में शामिल होते थे। उनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती थी और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता था। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्त्व उनके समाज में स्वीकार्यता का एक महत्त्वपूर्ण पहलू था।

तृतीयलिंगी व्यक्ति कला और मनोरंजन के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे नृत्य, संगीत, और नाटक में शामिल होते थे। कामसूत्र में तृतीयलिंगी व्यक्तियों की कला और मनोरंजन में भूमिका को भी दर्शाया गया है। यह उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता था और उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता था।

कामसूत्र में तृतीयलिंगी समाज के उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में उनकी एक विशिष्ट पहचान और भूमिका थी। हालाँकि उन्हें विभिन्न प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं के कारण उन्हें समाज में एक विशिष्ट स्थान भी प्राप्त था।

जिया जाफरी की किताब 'Invisibles: A Tale Of Eunuch In India' में राम कथा के सम्बन्ध में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। जिसके अनुसार राम के वन जाने के दौरान समस्त अयोध्यावासी उन्हें सरहद तक विदा करने गए। सरहद पर पहुँचने के बाद राम ने 'समस्त नर-नारी अपने-अपने घर को लौट जाएँ और लगन से अपने कर्म का निर्वाह करें' कहकर सबको लौटा दिया, लेकिन कुछ लोग वहीं रुके रह गए। चौदह वर्ष का वनवास काटकर जब राम अयोध्या आ रहे थे तब रास्ते में ये लोग वहीं मिले, जहाँ राम उन्हें छोड़कर गए थे। पूछने पर पता चला कि 'ये लोग न तो नर थे और न ही नारी, जबकि नर और नारियों को ही वापस जाने को कहा गया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राम ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वे लोग मंगल उत्सवों पर लोगों को आशीर्वाद दे पायेंगे'।

महाभारत में एक स्त्रैण पुरुष पात्र 'शिखंडी' का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि शिखंडी अपने पूर्व जन्म में राजकुमारी 'अम्बा' था, जिसे भीष्म पितामह ने अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह के लिए उसके स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। अम्बा का विवाह न तो विचित्रवीर्य से हो पाया और न ही किसी अन्य पुरुष ने उसका वरण किया। ऐसे में अम्बा ने भीष्म से विवाह

करने का अनुरोध किया, जिसे भीष्म ने अपने ‘आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा’ के कारण ठुकरा दिया। मिथक यह है कि अगले जन्म में अम्बा ने ‘शिखंडी’ के रूप में जन्म लिया और वही छल द्वारा भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना। इस घटना के संदर्भ में अगर हम आलोच्य समाज पर विचार करें, तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ भी किन्नर समाज पर धोखा देने का आरोप लगाया गया।

महाभारत से संबंधित दूसरी मिथकीय कथा में, अप्सरा उर्वशी द्वारा प्रणय निवेदन ठुकराने के कारण अर्जुन को उर्वशी द्वारा ‘बृहन्नला’ बनने का श्राप मिला। इस श्राप के प्रभाव से अर्जुन ने एक वर्ष तक राजा विराट के दरबार में अज्ञातवास किया। ‘बृहन्नला’ के रूप में रहते हुए अर्जुन ने नृत्य जैसी कला का प्रदर्शन किया और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्यकला का प्रशिक्षण दिया।

महाभारत से संबंधित तीसरी कथा में, जो कौरव-पांडव युद्ध से जुड़ी है, वह ‘अरावन’ या ‘इरावन’ के पात्र से सम्बंधित है। अर्जुन का पुत्र अरावन, जो नागकन्या ‘उलूपी’ और अर्जुन के प्रेम संबंधों से उत्पन्न हुआ था, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए पांडव भी नर बलि देने को तैयार थे। इसके लिए अरावन ने शर्त रखी कि वह एक रात के लिए विवाह करके वैवाहिक सुख प्राप्त करेंगे। कृष्ण ने इस समस्या का समाधान करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अरावन से विवाह किया।

अरावन ने युद्ध में पहले दिन बलि दी, जिससे पांडवों को विजय मिली। इस घटना के परिणामस्वरूप, अरावन का विध्वंस हो गया। यह घटना उस समय से जुड़ी है और इसका स्मरण तमिलनाडु के कूवागम-विल्लुपुरम में स्थित अरावन के मंदिर में हर वर्ष अरावनी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में हिजड़े स्वयं को अरावन के रूप में स्थापित करते हैं, विधवा होने का विलाप करते हैं और उन्हें उपालंभ देते हैं। यहाँउन्हें ‘अरावनी’ के नाम से भी जाना जाता है।

ट्रांस ध्वज, जिसे मोनिका हेल्म्स ने 1999 में परिकल्पित किया था, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ध्वज में हल्का नीला और हल्का गुलाबी रंग क्रमशः शिशु लड़कों और शिशु लड़कियों के पारंपरिक रंगों का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद रंग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो इंटरसेक्स, लिंग-तटस्थ या संक्रमण के रूप में पहचान करते हैं। ध्वज की समरूपता, जैसा कि हेल्म्स ने बताया, यह संकेत देती है कि इसे किसी भी दिशा में फहराने पर यह हमेशा सही रहेगा, जो ट्रांसजेंडर लोगों के जीवन में सही होने का प्रतीक है।

मुग़ल शासकों ने ‘हिजड़ों’ को राज दरबारों में भी स्थान दिया था। मुग़ल शासक अपनी प्रशासनिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विभिन्न समुदायों और वर्गों को अपने शासन में शामिल किया और उन्हें महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन किया। हिजड़ा समुदाय को भी मुग़ल दरबार में विशेष स्थान मिला, जो उनके प्रति मुग़लों के उदार दृष्टिकोण का प्रमाण है। हिजड़ा समुदाय के लोग अकबर

के दरबार में विभिन्न प्रशासनिक और सैन्य पदों पर आसीन थे। वे न केवल दरबार की शोभा बढ़ाते थे, बल्कि राजकीय कार्यों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते थे। मुग़ल दरबार में हिजड़ा समुदाय की भूमिकाएँ विविध और महत्त्वपूर्ण थीं। वे दरबार के अंदरूनी मामलों की देखरेख करते थे, जिसमें हरम का प्रबंधन भी शामिल था। हरम, जो शाही महिलाओं का निवास स्थान था, उसकी सुरक्षा और व्यवस्था का जिम्मा हिजड़ा समुदाय के हाथों में होता था। उनकी अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति हरम में प्रवेश नहीं कर सकता था। वे राजस्व संग्रह, प्रशासनिक व्यवस्था, और शाही आदेशों के पालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसके अलावा, वे शाही सेना में भी सेवा करते थे और युद्ध के समय उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती थी। उनके प्रति विश्वास और सम्मान का यह स्तर मुग़लों की सामाजिक समावेशिता और विविधता की नीति का प्रतीक है। मुग़ल शासकों के शासन में हिजड़ा समुदाय की स्थिति समाज में सम्मानित थी। उन्हें राजकीय सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त था, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती थी। हालाँकि, मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद उनकी स्थिति में गिरावट आई और वे समाज में हाशिए पर चले गए।

परतंत्र भारत में 1871 से पहले तक, हिजड़े की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी, और उन्हें कई मामलों में अधिकार प्राप्त थे। 1871 में अंग्रेजों ने हिजड़ा समुदाय को क्रिमिनल ट्राइब्स, यानी जरायमपेशा जनजाति की श्रेणी में शामिल कर दिया। 1951 में, भारत के नए संविधान के तहत, हिजड़ा समुदाय को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त कर दिया गया। 20वीं सदी के दौरान, इनके अस्तित्व को स्वीकार करने के प्रयास शुरू हुए, और कुछ हिजड़ा कार्यकर्ताओं और पश्चिमी NGOs ने उन्हें तीसरे लिंग के रूप में अधिकार दिलाने का प्रयास किया। बांग्लादेश में, हिजड़ों को पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में मान्यता मिली।

NALSA (National Legal Services Authority) एक्ट 2014 भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने देश में तृतीयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। 15 अप्रैल 2014 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसने हिजड़ा और ट्रांसजेंडर समुदाय को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी। यह निर्णय न केवल कानूनी रूप से महत्त्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद परिवर्तनकारी साबित हुआ।

NALSA का महत्त्व : NALSA के निर्णय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को न केवल कानूनी पहचान दी, बल्कि उन्हें बराबरी का हक भी दिलाया। इस निर्णय के प्रमुख पहलुओं में शामिल थे:

1. **कानूनी मान्यता:** हिजड़ा और ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी गई।
2. **मौलिक अधिकार:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन उनके लैंगिक पहचान के आधार पर नहीं किया जा सकता।
3. **सरकारी नीतियाँ:** राज्य और केंद्र सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समावेशी नीतियाँ और कार्यक्रम लागू करें।
4. **आरक्षण:** शिक्षा और रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।

इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन में कई सकारात्मक बदलावों को संभव किया। सरकारी और निजी क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ी, और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, और रोजगार के भी अवसर मिलने लगे। समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति जागरुकता और स्वीकृति भी बढ़ी है।

हालाँकि NALSA के निर्णय ने कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक भेदभाव, हिंसा, और रोजगार में असमानता जैसी समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं।

साल 1996 में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को महिला या पुरुष के रूप में वोट देने का अधिकार तो मिला लेकिन अपनी पहचान के लिए उनकी लड़ाई जारी रही। एक लम्बी लड़ाई के बाद साल 2014 में उन्हें सफलता मिली। भारत के चुनाव आयोग ने 2014 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "थर्ड जेंडर" (तीसरे लिंग) के रूप में पहचानने का अधिकार दिया। इस निर्णय के बाद, ट्रांसजेंडर लोग अपने वोटर पहचान पत्र में अपने लिंग को "थर्ड जेंडर" के रूप में दर्ज करवा सकते हैं। यह निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 2014 में दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद आया, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें समान अधिकार और अवसर देने के निर्देश दिए गए। यह फैसला न केवल वोट देने के अधिकार की पुष्टि करता है, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव से बचाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण था। इस निर्णय से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी पहचान के साथ वोट देने का अधिकार मिला, जो लोकतंत्र में उनकी भागीदारी को मजबूत करता है।

तृतीयलिंगी समाज की स्वास्थ्य सेवाओं में पहुँच और सुधार भी एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में महत्त्वपूर्ण है। उनकी विशेष स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान करना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य, एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों के प्रति जागरुकता और उपचार सेवाओं की उपलब्धता से तृतीयलिंगी समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इस समुदाय को कई और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता और सामान्य जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। ये समस्याएँ मुख्यतः सामाजिक भेदभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ, और जागरुकता की कमी के कारण उत्पन्न होती है।

मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ

तृतीयलिंगी समुदाय के लोग अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। समाज में भेदभाव, सामाजिक अस्वीकृति, और हिंसा के कारण वे डिप्रेशन, एँग्जायटी, और आत्महत्या के खतरों से जूझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और उनकी विशिष्ट जरूरतों को समझने वाले पेशेवरों की अनुपस्थिति इस समस्या को और बढ़ा देती है।

हार्मोनल थेरेपी और सर्जिकल आवश्यकताएँ

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हार्मोनल थेरेपी और सर्जिकल प्रक्रियाएँ महत्त्वपूर्ण होती हैं। हालाँकि, इन सेवाओं की उपलब्धता सीमित है और इनका खर्च भी बहुत अधिक होता है। कई बार ट्रांसजेंडर लोग इन प्रक्रियाओं को सुरक्षित और मान्य चिकित्सा सुविधाओं के बिना ही करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।

यौन स्वास्थ्य समस्याएँ

तृतीयलिंगी समुदाय के लोग यौन स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझते हैं। एचआईवी/एड्स और अन्य यौन संचारित रोगों का खतरा इस समुदाय में अधिक होता है। यौन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कंडोम और अन्य सुरक्षा उपायों की अनुपलब्धता, और यौन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की कमी से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।

सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव

तृतीयलिंगी लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अस्पतालों और क्लीनिकों में उनके साथ किए जाने वाले अनुचित व्यवहार और उनके स्वास्थ्य मुद्दों को गंभीरता से न लेने के कारण वे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य की स्थिति और भी ख़राब हो जाती है।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच

तृतीयलिंगी समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच भी एक बड़ी समस्या है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच न होने के कारण तृतीयलिंगी लोग कई बार बिना इलाज के ही रह जाते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएँ और भी बढ़ जाती हैं।

जागरुकता और शिक्षा की कमी

तृतीयलिंगी समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए जागरुकता और शिक्षा की भी कमी है। स्वास्थ्य कर्मियों और समाज के अन्य लोगों को तृतीयलिंगी लोगों की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। इसके साथ ही, तृतीयलिंगी लोगों को भी उनके स्वास्थ्य अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तृतीयलिंगी समाज की स्वास्थ्य समस्याएँ कई और जटिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच को बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा, यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरुकता फैलाना, और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करना आवश्यक है।

लोकतंत्र की सफलता का आधार उसके नागरिकों की सहभागिता और समानता में निहित होता है। एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र तभी संभव है जब उसमें समाज के सभी वर्गों को बराबरी का स्थान मिले। तृतीयलिंगी समुदाय भी इसी समाज का अभिन्न हिस्सा है। उनकी सहभागिता और अधिकारों की सुरक्षा से ही एक पूर्ण लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सकता है। एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र की नींव समानता, न्याय और सहभागिता पर आधारित है। तृतीयलिंगी समुदाय की सहभागिता से ही लोकतंत्र पूर्णता प्राप्त करता है। उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सम्मान के प्रति संवेदनशीलता और कानूनी सुरक्षा के प्रावधान समाज को और अधिक समृद्ध और सहिष्णु बनाते हैं। तृतीयलिंगी समुदाय की आवश्यकता और महत्त्व को समझते हुए हमें उनके अधिकारों की रक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना होगा, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। लोकतंत्र की परिभाषा ही समावेशिता और सभी के लिए समान अधिकारों पर आधारित है। किसी भी समुदाय की उपेक्षा या उनके अधिकारों का हनन, लोकतंत्र की मूलभूत संरचना को कमजोर करता है। तृतीयलिंगी समुदाय की समावेशिता न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि समाज को भी अधिक सहिष्णु और विविधतापूर्ण बनाती है। तृतीयलिंगी समुदाय के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। भेदभाव, पूर्वग्रह और हिंसा के खिलाफ सख्त कानून और उनकी प्रभावी क्रियान्वयन समाज में समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है। समाजिक जागरुकता और संवेदनशीलता तृतीयलिंगी समुदाय के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता को बढ़ावा देती है। 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में तृतीयलिंगी समुदाय को संविधान के तहत समानता और सम्मान का अधिकार दिया। इस फैसले ने तृतीयलिंगी लोगों को तीसरे लिंग के रूप में पहचानने और उन्हें

शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अधिकार देने का मार्ग प्रशस्त किया। यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करता है और समाज में तृतीयलिंगी समुदाय की महत्ता को स्वीकार करता है। दुनिया के विभिन्न देशों में तृतीयलिंगी समुदाय के अधिकारों को लेकर जागरुकता और कानूनों में बदलाव हो रहा है। कई देशों में तृतीयलिंगी लोगों को कानूनी मान्यता और समान अधिकार प्राप्त हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में हो रहे प्रयासों का अनुसरण कर भारत में भी तृतीयलिंगी समुदाय के अधिकारों को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

भारत में तृतीयलिंगी समुदाय की भाषा

तृतीयलिंगी समुदाय की भाषा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा संचार का एक माध्यम होने के साथ-साथ उनकी पहचान, एकजुटता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती है। विभिन्न देशों में तृतीयलिंगी समुदायों की भाषाएँ और बोली जाने वाली बोलियाँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वे सभी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखती हैं। यह समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा और संचार शैली का प्रयोग करता है, जिसे "हिजड़ा फाटी" या "हिजड़ा भाषा" कहा जाता है। यह भाषा विभिन्न भारतीय भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती और बंगाली जैसी भाषाओं के शब्द शामिल होते हैं।

हिजड़ा भाषा के विशेषताएँ

1. **कोड स्विचिंग**: हिजड़ा भाषा में अक्सर कोड स्विचिंग का प्रयोग होता है, जहां वक्ता विभिन्न भाषाओं के बीच स्विच करते हैं। यह बातचीत को अधिक प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाता है।
2. **गुप्त भाषा**: हिजड़ा भाषा को कभी-कभी गुप्त भाषा के रूप में भी देखा जाता है, जिसका उपयोग समुदाय के भीतर निजी संवाद के लिए किया जाता है। यह उन्हें बाहरी लोगों से अपनी बातचीत को छिपाने में मदद करता है।
3. **गालियाँ और विशेष शब्दावली**: इस भाषा में विशेष गालियाँ और शब्दावली होती हैं, जो समुदाय के सदस्यों के बीच एक अनूठी पहचान और संबंध स्थापित करती हैं। यह शब्दावली अक्सर बाहरी लोगों के लिए समझना मुश्किल होती है।
4. **सांस्कृतिक संदर्भ**: हिजड़ा भाषा में सांस्कृतिक संदर्भों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें धार्मिक, सामाजिक और पारंपरिक तत्त्व शामिल होते हैं, जो हिजड़ा समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को प्रतिबिंबित करते हैं।

भाषा का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व

1. **पहचान और एकजुटता**: भाषा समुदाय के सदस्यों के बीच एक मजबूत पहचान और एकजुटता का निर्माण करती है। यह उन्हें बाहरी समाज से अलग और विशिष्ट बनाती है।
2. **सामाजिक समर्थन**: हिजड़ा भाषा का उपयोग समुदाय के सदस्यों को सामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह संवाद का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से वे अपने अनुभवों, समस्याओं और समाधान साझा करते हैं।
3. **संस्कृति और परंपराएँ**: भाषा समुदाय की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करती है। यह उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीतों, नृत्यों और धार्मिक अनुष्ठानों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

दुनिया भर में तृतीयलिंगी समुदायों की भाषाएँ और संचार शैली भी उनके स्थानीय संदर्भों और सांस्कृतिक धरोहरों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, थाईलैंड में काथोई समुदाय अपनी भाषा और संचार शैली का प्रयोग करता है, जबकि इंडोनेशिया में वारिया समुदाय अपनी विशिष्ट भाषा का उपयोग करता है।

भाषा और अधिकार

तृतीयलिंगी समुदाय की भाषा उनके अधिकारों और पहचान की रक्षा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के माध्यम से वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं और समाज में अपने स्थान की मांग करते हैं। इसके अलावा, भाषा की पहचान उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने में भी सहायक होती है।

तृतीयलिंगी समुदाय की भाषा उनके जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और एकजुटता का प्रतीक भी है। भाषा के माध्यम से वे अपने अधिकारों की रक्षा करते हैं, अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाए रखते हैं। समाज को तृतीयलिंगी समुदाय की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और उनकी भाषाई धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने के प्रयास करने चाहिए।

भाषायी और सामाजिक लोकतंत्र को तब और मजबूती मिलती है जब सभी आवाज़ों को सामान रूप से अभिव्यक्ति मिलती है। 'भाषाघर' पत्रिका को शुरू करने के पीछे भी हम सबका यहीं प्रयास था कि सभी के रचनात्मक अभिव्यक्ति को एक मंच प्रदान किया जा सके जहाँ से इस दुनिया को और हसीन और खुबसूरत बनाया जा सके। 'तृतीयलिंगी' विमर्श पर आधारित यह अंक इसी ओर आपका ध्यान ले जाने के प्रयास का एक हिस्सा है। जब 'भाषाघर' पत्रिका की नींव डाली जा रही थी तब तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. निरंजन सहाय की यह ख्वाहिश थी कि इसमें लोकतंत्र की वैधता की स्वीकृति के मद्देनज़र हर अनसुनी आवाज़ को अभिव्यक्ति का अवसर हासिल हो। यह कितनी खुबसूरत बात है कि तब से आज तक भाषाघर का एक - एक अंक अपने ध्येय वाक्य "भाषा, साहित्य और संस्कृति के लोकतंत्र का सहकार" को समर्पित है। भाषाघर के तमाम अंक के बाद यह आवश्यकता महसूस हो रही थी कि हमारे भारतीय समाज का एक अंग ऐसा भी है, जिसे आमतौर पर समाज से बहिष्कृत करके ही समाज की परिकल्पना की जाती रही है, उसे भी साहित्य की चर्चाओं के बीच लाया जाना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए एवं पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. निरंजन सहाय के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से यह अंक अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस अंक के संपादन के दौरान जहाँ कहीं भी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रो. सहाय को हमेशा संबल देता हुआ पाया। इस कारण से लाख कठिनाइयों के बाद भी यह अंक अब साकार रूप ले चुका है। अतः इस प्रोत्साहन देने और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि संपादन जैसा कठिन कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं आदरणीय गुरुदेव का तहेदिल से आभारी हूँ।

साथ – ही – साथ हिन्दी विभाग के समृद्ध रचनात्मक परम्परा की मशाल को अपने हाथों में लेने वाले विभागाध्यक्ष प्रो. राजमुनि सर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने विभाग के सर्जनात्मक परम्परा को बरक़रार रखते हुए, उसे निरंतर आगे ले जाने का बीड़ा अपने हाथों में लिया है। मैं सर के आगामी कार्यकाल के लिए बहुत उम्मीदों के साथ शुभकामनाएँ भी प्रेषित करता हूँ। उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में विभाग पूर्ववर्ती

आचार्यों की सुदीर्घ चली आ रही परम्परा और सुदृढ़ होगी।

मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि 'भाषाघर' पत्रिका का यह अंक, इसके सह – संरक्षक और हिन्दी विभाग में उपाचार्य डॉ. अविनाश कुमार सिंह सर के कारण ही संभव हो सका है। उन्होंने न केवल रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है बल्कि इस पत्रिका के कलेवर को भी निर्धारित करने में उनका अतुल्यनीय योगदान रहा है। 'इस्पतिका' पत्रिका के संपादन का उनका अनुभव हमें इस यात्रा को प्रभावी बनाने में मिला। हम उनके साथ को पाकर हमेशा इस ताक में रहे कि कब कुछ नया सीखने को मिल जाए! उनकी इस सीख और सहयोग को कभी नहीं भूल सकता। इसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा।

अपनी गैर – अकादमिक उलझनों में उलझ कर जब – जब मैं अपने मार्ग से तनिक भी डिगा हूँ, विभाग के सभी गुरुजनों ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़कर, मुझे झकझोरा और सही मार्ग प्रशस्त किया, मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। इस अवसर पर मैं अपने सभी गुरुजनों का नाम लेना आवश्यक समझता हूँ। प्रो. अनुराग कुमार, प्रो. रामाश्रय सिंह, प्रो. अनुकूल चंद राय, डॉ. प्रीति, डॉ. विजय कुमार रंजन, डॉ. सुरेन्द्र प्रताप सिंह सभी के प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ।

इसी कड़ी में मैं इस अंक में सम्मिलित सभी लेखकों, रचनाकारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बिना आपके रचनात्मक सहयोग से यह कार्य संभव नहीं था। सभी का नाम लिख पाना मेरे लिए मुश्किल है, यकीन के साथ मैं यह कह सकता हूँ कि यह यज्ञ बिना आपकी आहुति के सम्पूर्ण नहीं होता। आपने कभी मुझे अकेला न छोड़ा इसका मुझे परितोष है। साथ – ही साथ आपसे भविष्य में भी रचनात्मक सहयोग का आकांक्षी हूँ।

इस अंक के सह – संपादक के रूप में जुड़ी बड़ी बहन प्रियंका यादव के प्रति भी नतमस्तक हूँ। बिना उनके इस कार्य को सफलतापूर्वक निर्वाह करना मेरे बूते की बात नहीं थी।

यह अंक अब आप पाठकों के हवाले करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इस अंक को पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। इस अंक में जो कुछ अच्छा है उसका पूरा श्रेय रचनाकारों का एवं पाठकों का तथा जो कुछ खामियाँ है, उसकी जिम्मेदारी मेरी। अंत में मैं उन सभी रचनाकारों से क्षमाप्रार्थी हूँ, जिनकी रचनाओं को जाने-अनजाने में इस अंक में शामिल नहीं कर सका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस धृष्टता को मांफ करेंगे और भविष्य में भी 'भाषाघर' पत्रिका को अपने रचनात्मक सहयोग से अभिसिंचित करेंगे।

■